प्रेस विज्ञप्ति
09.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हेम चंद्र बोरा, उप मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) तथा उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री सैकिया, सरकारी शिक्षिका, भास्कर विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुवाहाटी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति से संबंधित प्रकरण में लगभग 65.60 लाख रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसी–I, नई दिल्ली द्वारा हेम चंद्र बोरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) तथा गायत्री सैकिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 109 सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ई) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। तत्पश्चात, सीबीआई द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.03.2025 को आरोप पत्र संख्या 06 दायर किया गया।

सीबीआई के आरोप पत्र के विस्तृत विश्लेषण तथा पीएमएलए के तहत स्वतंत्र जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह खुलासा हुआ कि जांच अवधि 01.04.2016 से 17.01.2021 के दौरान हेम चंद्र बोरा ने अपनी पत्नी श्रीमती गायत्री सैकिया के साथ मिलीभगत कर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में लगभग 73.76 लाख रुपये की अत्यधिक असंगत संपत्तियाँ अर्जित कीं, जो उक्त अवधि के दौरान सभी ज्ञात वैध स्रोतों से प्राप्त उनकी कुल आय का लगभग 86.88 प्रतिशत है।

जांच से आगे यह भी उजागर हुआ कि आरोपितों द्वारा अपराध से अर्जित आय को धन शोधन के माध्यम से वैध दर्शाने हेतु एक सुनियोजित पद्धति अपनाई गई। यद्यपि हेम चंद्र बोरा एवं श्रीमती गायत्री सैकिया के संयुक्त रूप से सात बैंक खाते थे, तथापि उनके कुल एटीएम एवं यूपीआई निकासी मात्र 1,36,894 रुपये पाई गई। जांच से यह स्थापित हुआ कि आरोपितों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त नकद धनराशि, जो अवैध पारितोषिक के रूप में प्राप्त हुई थी, का उपयोग दैनिक घरेलू व्यय वहन करने हेतु किया जाता था, जिससे उनकी वैध वेतन आय बैंक खातों में सुरक्षित बनी रही। तत्पश्चात, संचित वेतन राशि का उपयोग चेक भुगतान के माध्यम से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया, ताकि उन्हें बेदाग संपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।